राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1759/2016.....जिला.....जयपुर.....

गुरूकृपा ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर बनाम 1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–ए, जयपुर 2. अपील प्राधिकारी द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 14,13,262/– पर चाहा गया स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने राशि रू0 14,13,262/– की वसूली को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित रखे जाने का निवेदन करते हुए यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्यवहारी के वाहन को दिनांक 17.06.2016 को चैक करने पर वाहन में लदे माल डेयरी बेस्ट ब्रांड देशी घी के 800 टिन पाये गये एवं माल के साथ 600 टिन की बिल्टी एवं 200 टिन की पृथक बिल्टी एवं उनसे संबंधित बिल पाये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने दुरभाष पर व्यवहारी को वेट इनवॉयस प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या व कूटरचित मानते हुए अधिनियम की धारा 76(6)(12) एवं (13) के तहत कार्यवाही करते हुए कर 5.5 प्रतिशत की दर से रूपये 2,22,442/–, शास्ति 30 प्रतिशत की दर से रूपये 12,13,320/– कुल रूपये 14,35,762/– आरोपण किया। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 03.08.2016 द्वारा चाहे गये स्थगन राशि रूपये 14,13,262/– की वसूली पर आवेदित स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया जिसका कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक लगातार.....2	

बतलाते हुए मांग राशि रू0 14,13,262/— को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील तक स्थगित करने का अनुरोध किया।

उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03.08.2016 का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के साथ मिथ्या दस्तावेज पाये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो करारोपण किया गया है, उसका समर्थन किया एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि परिवहनित माल के साथ वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत कर दिये थे एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब भी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किया गया। चूंकि वर्तमान में प्रकरण अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है, जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 14,13,262/— की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण अथवा 3 माह जो भी पहले हो, तक रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

8. आदेश प्रसारित किया गया।

24/08/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

22.8.2016

(मदन लाल)
सदस्य